

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 4

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत शत-प्रतिशत कम्पोनेट एवं अनावर्ती मद हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 400 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 5 से 7

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु ₹ 4,384.93 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 43,84,93,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 2216

मद क्रमांक 8

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹86,617.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹8,66,17,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹57,744.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹5,77,44,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 10

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदाय किए जाने हेतु ₹9,500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 95,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 11

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय हेतु ₹1,520.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹15,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

पोषण अभियान हेतु ₹100 प्रतीक का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

आंगनवाड़ी सेवाये (सामान्य) हेतु ₹100 प्रतीक का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14 से 22 तक

महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 45,600.02 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,56,00,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 23

आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु ₹100 प्रतीक का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 24

सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र एवं पोषण-2.0 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना हेतु ₹100 प्रतीक का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 25

सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र एवं पोषण-2.0 पूरक पोषण आहार योजना हेतु ₹100 प्रतीक का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 26

धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजनांतर्गत राशि ₹1,24,400.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹12,44,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27

केन्द्र प्रवर्तित नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री योजनान्तर्गत केन्द्रांश हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 28

केन्द्र प्रवर्तित नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री योजनान्तर्गत राज्यांश हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 29

छत्तीसगढ़ कुक्कुटपालन प्रोत्साहन योजना हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 38.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 30

रेशम पालन एवं मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा दिये जाने हेतु आकस्मिकता निधि से ₹200 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹200 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 31

पावर कंपनी के ऋण का टेकओवर (ऋण अदायगियाँ) हेतु ₹1,535.124 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹15,35,12,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना अंतर्गत राशि ₹ 42,674.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,26,74,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 33 से 34

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु ₹2,662.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 26,62,50,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्यशीर्ष 4215

मद क्रमांक 35

जल जीवन मिशन योजना हेतु ₹13,530.00 लाख का अतिरिक्त राज्यांश व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,35,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।